



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07082026-275273
CG-DL-E-07082026-275273

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 647]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 7, 2026/श्रावण 16, 1948

No. 647]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 7, 2026/SHRAVAN 16, 1948

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 2026

सा.का.नि. 711(अ).—केंद्रीय सरकार, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 (1949 का 66) की धारा 18 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, कांस्टेबल (साधारण ड्यूटी), साधारण ड्यूटी काडर, समूह 'ग' पद, भर्ती नियम, 2023, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के साधारण ड्यूटी काडर के कांस्टेबल (साधारण ड्यूटी) समूह 'ग' के पद पर भर्ती पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्: -

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, कांस्टेबल (साधारण ड्यूटी), साधारण ड्यूटी काडर, समूह 'ग' पद, भर्ती नियम, 2026 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.- पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उनका स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. ज्येष्ठता.- ज्येष्ठता, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल नियम, 1955 और केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए साधारण अनुदेशों के अनुसार विनियमित की जाएगी।
5. निरर्हता.- वह व्यक्ति,-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. भारत के अनागरिकों की अपात्रता.- कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, इन नियमों के अधीन केंद्रीय सरकार की लिखित पूर्व अनुमति के बिना नियुक्त नहीं किया जाएगा :

परंतु इस नियम में कोई भी बात अन्तर्विष्ट नहीं है जो बल में नेपाल या भूटान के मामले में नियुक्ति या नियोजन पर रोक लगाएगी।

7. अधिवर्षिता.- (1) इन नियमों के अधीन नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति उस मास के अंतिम दिन के अपराह्न से सेवा से सेवानिवृत्त होगा जिस मास में वह साठ वर्ष की आयु प्राप्त करता है या जैसा कि केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर विहित किया जाए,

परंतु वह व्यक्ति जिसके जन्म की तारीख किसी मास की पहली तारीख हो, वह साठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के पूर्ववर्ती मास के अंतिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत्त होगा।

(2) किसी भी व्यक्ति को अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति की विहित आयु के परे सेवा में विस्तार प्रदान नहीं किया जाएगा।

8. शिथिल करने की शक्ति.- जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी भी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बावत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
9. व्यावृत्ति.- इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद या गैर-चयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
कांस्टेबल (साधारण ड्यूटी)	*133982 (2026) (पुरुष-129241 और महिला-4741) *(कार्य भार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अ-राजपत्रित, (अन-अनुसूचित विधायक)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर -3 (21700- 69100 रुपए)	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा

(6)

18 से 23 वर्ष के बीच (अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों की दशा में पांच वर्ष और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों की दशा में तीन वर्ष की छूट।)

टिप्पण 1:- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग या संबंधित नोडल बल द्वारा विज्ञापित की जाएगी।

टिप्पण 2:- भूतपूर्व अग्निवीरों के पहले बैच के अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु-सीमा पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

टिप्पण 3:- भूतपूर्व अग्निवीरों के अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु-सीमा तीन वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं

(7)

(i) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी बोर्ड से मैट्रिक या भूतपूर्व सैन्य कार्मिकों की दशा में समतुल्य सैन्य अर्हता।

(ii) कांस्टेबल (साधारण ड्यूटी) के पद पर भर्ती के लिए शारीरिक और चिकित्सा मानदंड केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर विहित स्कीम के अनुसार लागू होंगे।

(iii) अभ्यर्थी को भर्ती के लिए विज्ञापन में कांस्टेबल (साधारण ड्यूटी) के लिए यथाविहित शारीरिक दक्षता परीक्षा और लिखित परीक्षा अर्हित करनी होगी।

(iv) टिप्पणी: भूतपूर्व अग्निवीरों को लिखित परीक्षा, शारीरिक मानदंड परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा से छूट होगी।

सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हता प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं।	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति, चाहे सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
नहीं	2 वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा। टिप्पण 1: प्रत्येक भर्ती वर्ष में कांस्टेबल (साधारण ड्यूटी) पद पर भर्ती के लिए 50 प्रतिशत रिक्तियां भूतपूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित होंगी। टिप्पण 2: पहले चरण में, गृह मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार भूतपूर्व अग्निवीरों के लिए चिन्हित पचास प्रतिशत रिक्तियों के लिए भर्ती संबंधित नोडल बल द्वारा आयोजित की जाएगी।

		टिप्पण 3: दूसरे चरण में, शेष पचास प्रतिशत रिक्तियों के साथ पहले चरण की ऐसी रिक्तियां, जो न भरी गई है, विद्यमान उपबंधों के अनुसार अप्रतिबद्ध(खुली) परीक्षा या गृह मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार भर्ती की जाएगी। टिप्पण 4: विभिन्न प्रवर्गों के लिए आरक्षण के विद्यमान उपबंध दोनों चरणों के लिए लागू होंगे।
--	--	--

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेदन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेदन किया जाना है।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान है तो उसकी संरचना क्या है ?	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है।
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं	समूह 'ग' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: - 1. उप महानिरीक्षक या कमांडेंट - अध्यक्ष; 2. उप कमांडेंट - सदस्य; 3. सहायक कमांडेंट - सदस्य	लागू नहीं होता

[फा. सं. आर.नौ-1/2025-संगठन (अग्निवीर)]

अनिल कुमार प्रधान, उप सचिव (पी-II)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 27th July, 2026

G.S.R. 711(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 18 of the Central Reserve Police Force Act, 1949 (66 of 1949) and in supersession of the Central Reserve Police Force, Constable (General Duty), General Duty Cadre, Group 'C' Post, Recruitment Rules, 2023, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Constable (General Duty) Group 'C' post in General Duty Cadre in the Central Reserve Police Force, namely:-

- Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Central Reserve Police Force, Constable (General Duty), General Duty Cadre, Group 'C' Post, Recruitment Rules, 2026.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- Number of post, classification and level in pay matrix.- The number of post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.- The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- Seniority.- Seniority shall be regulated in accordance with the Central Reserve Police Force Rules, 1955 and general instructions issued by the Central Government from time to time.
- Disqualification.- No person,-
(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

6. Ineligibility of non-citizens of India.- No person who is not a citizen of India shall, except with the prior permission of the Central Government in writing, be appointed under these rules:

Provided that nothing contained in this rule shall debar the appointment or employment of a subject of Nepal or Bhutan in the Force.

7. Superannuation.- (1) Every person appointed under these rules shall retire from service on the afternoon of the last day of the month in which he or she attains the age of sixty years or as prescribed by the Central Government from time to time :

Provided that a person whose date of birth is on the first day of a month shall retire from service in the afternoon of the last day of the preceding month on attaining the age of sixty years.

(2) No person shall be granted extension in service beyond the prescribed age of retirement on superannuation.

8. Power to relax.- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

9. Saving.- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Constable (General Duty).	*133982 (2026) (Male-129241 and Female-4741) *(Subject to variation dependent upon work load).	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, (Non-Ministerial Combatant.)	Level-3 (Rs. 21700- 69100) in the pay matrix.	Not applicable.

Age-limit for direct recruits.

(6)

Between 18 and 23 years of age. (Five years age relaxation in case of the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes and three years in case of Other Backward Classes candidates).

Note 1: The crucial date for determination of the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission or the concerned Nodal Force.

Note 2: The upper age-limit shall be relaxable upto five years for the candidates of the first batch of ex-Agniveers.

Note 3: The upper age-limit shall be relaxable upto three years for the candidates of ex-Agniveers.

Educational and other qualifications required for direct recruits.

(7)

(i) 10th class pass from a board recognised by the Central Government or State Government or equivalent Army qualification in case of ex-Army personnel.

(ii) Physical and Medical Standard for recruitment to the post of Constable (General Duty) shall be applicable as per the Scheme prescribed by the Central Government from time to time.

(iii) The candidate shall qualify Physical Efficiency Test and written examination as prescribed for Constable (General Duty) in the advertisement for recruitment.

Note: Ex-Agniveers shall be exempted from written examination, Physical Standard Test and Physical Efficiency Test.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(8)	(9)	(10)
No.	Two years.	By direct recruitment. Note 1: Fifty percent vacancies shall be reserved for ex-Agniveers for recruitment to the post of Constable (General Duty) in every recruitment year. Note 2 : In the first phase, the recruitment will be conducted by the concerned Nodal Force for fifty percent vacancies earmarked for ex-Agniveer or as per the instructions issued by Ministry of Home Affairs time to time. Note 3 : In the second phase, recruitment will be conducted through open examination as per the existing provisions against the remaining fifty percent of the vacancies along with the unfilled vacancies of the first phase or as per the instructions issued by Ministry of Home Affairs time to time. Note 4 : The existing provisions of reservation for various categories will be applicable for both phases.
In case of recruitment by promotion or deputation/absorption grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :- 1. Deputy Inspector General or Commandant - Chairperson; 2. Deputy Commandant - Member; 3. Assistant Commandant - Member.	Not applicable.

[F. No. R.IX-1/2025-Org (Agniveer)]

ANIL KUMAR PRADHAN, Dy. Secy. (P-II)